न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 77/2020 (Bank Case)
GCMS NO- 2020/00202

एच0डी0एफ0सी0 लिमिटेड शाखा –सी स्कीम जिला जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री उदय राम यादव समस्थ विधिक उत्तराधिकारी स्व0 श्रीमती राखी यादव धर्मपत्नि श्री विक्रम सिंह उर्फ बाबूलाल यादव
   पता– (अ) बी–45, आवास नगर , देवास, मध्य प्रदेश 455001
   दुसरा पता– (ब) 179ए.एच.,व 180 ए.एच., पण्डित दीन दयाल नगर, यु. आई.टी. अनन्तपुरा स्कीम, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, झालावाड रोड, कोटा, राज0 324007 **–अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 23.12.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एच0डी0एफ0सी0 लिमिटेड शाखा –सी स्कीम जिला जयपुर से अप्रार्थीगण ने 15,82,592/– (अक्षरेः पन्द्रह लाख बियासी हजार पाच सौ बरानवे रूपये मात्र) ऋण दिनांक 18.12.2017 को उपलब्ध कराई थी । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत की गई **अचल सम्पत्ति का विवरण–179 ए.एच. व 180 ए.एच., पण्डित दीन दयाल नगर, यु.आई.टी. अनन्तपुरा स्कीम, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, झालावाड रोड, कोटा, राज0 324007 (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 38.5 वर्गमीटर एवं 38.5 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 77.0 वर्ग मीटर) । मं. नं.179 ए.एच. जिसका पट्टा नगर विकास न्यास द्वारा व मं. नं.180 ए.एच. जिसका पट्टा नगर विकास न्यास द्वारा बाबूलाल यादव पुत्र श्री उदय राम यादव के नाम दिनांक 15.12.2010 को जारी किया गया है,** प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 30.09.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 19,21,713/– (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख, इक्कीस हजार, सात सौ तेरह रूपये मात्र) दिनांक 31.05.2020 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 04.06.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जननायक में दिनांक 14.07.2020 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते ने देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 04.06.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जननायक में दिनांक 14.07.2020 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 04.06.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी /बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति का विवरण–179 ए.एच. व 180 ए.एच., पण्डित दीन दयाल नगर, यु.आई.टी. अनन्तपुरा स्कीम, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, झालावाड रोड, कोटा, राज0 324007 (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 38.5 वर्गमीटर एवं 38.5 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 77.0 वर्ग मीटर) । मं. नं.179 ए.एच. जिसका पट्टा नगर विकास न्यास द्वारा व मं. नं.180 ए.एच. जिसका पट्टा नगर विकास न्यास द्वारा बाबूलाल यादव पुत्र श्री उदय राम यादव के नाम दिनांक 15.12.2010 को जारी किया गया है,** भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)